

आवश्यक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-29(क) के अन्तर्गत संगमों और निकायों का राजनीतिक दल के रूप में आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-29(C) एवं निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम-85(B) के अन्तर्गत अंशदान प्रतिवेदन प्ररूप-24(A) में दल के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दाखिल किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29.08.2014 द्वारा निर्गत पारदर्शिता एवं लेखांकन संबंधी दिशा-निर्देश की कंडिका-3 की उपकंडिका-(i) में उल्लिखित है कि "आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13क का परन्तुक (क), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित करता है कि राजनीतिक दल लेखों की ऐसी पुस्तकें रखेंगे और अनुरक्षित करेंगे जिसमें से उनकी आय से उचित कटौती की जा सके। तदनुसार, यह अपेक्षित है कि :-

- (क) राजनीतिक दल का कोषाध्यक्ष या ऐसा व्यक्ति जो दल के द्वारा प्राधिकृत है, सभी राज्य और निचले स्तरों के लेखों के अनुरक्षण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, दल के केन्द्रीय मुख्यालय में समेकित लेखों का, उपरोक्त प्रावधान के अधीन, अपेक्षित रीति से अनुरक्षण करेंगा
- (ख) उसके द्वारा अनुरक्षित लेखों को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट ऑफ इण्डिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी राजनीतिक दलों के लेखांकन एवं लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार होना होगा और
- (ग) वार्षिक लेखा, योग्यता प्राप्त पेशेवर चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा लेखा-परीक्षित एवं प्रमाणित किया जाएगा।"

इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29.08.2014 द्वारा निर्गत पारदर्शिता एवं लेखांकन संबंधी दिशा-निर्देश की कंडिका-3 की उपकंडिका-(vi) में उल्लिखित है कि "मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सभी रिपोर्ट अर्थात फार्म 24क में अंशदान की रिपोर्ट, चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा यथा प्रमाणित लेखा परीक्षित वार्षिक लेख, और निर्वाचन व्यय विवरण निर्वाचन आयोग के पास दाखिल करेंगे जबकि गैर मान्यता प्राप्त दल यह सब संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (अर्थात जहाँ दल का मुख्यालय स्थित है) के पास निर्धारित समय एवं रीति से दाखिल करेंगे।"

राजनीतिक दलों रिपोर्टों/विवरणों को जमा कराने की अंतिम तारीख निम्न अनुसार निर्धारित है :-

- (1) अंशदान रिपोर्ट-आयकर विवरणी भरने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर या केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर द्वारा आगे बढ़ाई गई ऐसी कोई तारीख।
- (2) वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे-प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर।
- (3) निर्वाचन व्यय का विवरण-विधान सभा निर्वाचन की समाप्ति के 75 दिनों के अंदर और लोक सभा निर्वाचन की समाप्ति के 90 दिनों के अंदर।

संबंधित अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्राप्त लेखे एवं प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाइट ceobihar.nic.in पर भी संधारित है।

उक्त प्रावधानों के परीक्षण से स्पष्ट है कि आपके दल द्वारा संबंधित लेखा/प्रतिवेदन इस कार्यालय को निर्धारित अवधि के अंदर समर्पित नहीं किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

- (1) वित्तीय वर्ष 2017-18 (अंशदान रिपोर्ट/वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे)
- (2) वित्तीय वर्ष 2018-19 (अंशदान रिपोर्ट/वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे)
- (3) वित्तीय वर्ष 2019-20 (अंशदान रिपोर्ट/वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे)

इस प्रकार भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार आपको यह अवसर दिया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 25.05.2022 से जो भी पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल व्यथित हैं, वह अपना अभ्यावेदन 30 (तीस) दिनों के भीतर समस्त सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्यों एवं लेखा विवरणी सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे।

सेवा में,

Vyabasayi Kisan Alpasankhyak Morcha,
H. No.12, Maharajganj, Jamui, District - Jamui,
Bihar - 811307.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के आदेश से,

(मिथिलेश कुमार साहु)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।